

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
कंमांक : प.8(ड)(का.भा.)डीएलबी/23/951
आदेश

दिनांक: 4-8-2023

विभागीय समसंख्यक आदेश कंमांक 5376 दिनांक 10/1/2022 के द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका जावाल जिला सिरोही के पद का कार्य करने हेतु श्री कनाराम भील को अधिकृत किया गया था एवं विभागीय आदेश दिनांक 09.03.2022, 09.05.2022 एवं 07.07.2022, 13.9.2022, 17.11.2022, 18.01.2023, 18.04.2023 व 05.07.2023 के द्वारा क्रमशः कार्यभार अवधि 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए बढ़ाई गई थी ।

अतः श्री कनाराम भील अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) सदस्य नगर पालिका जावाल को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 के प्रावधानों के अधधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कार्यभार अवधि पूर्व आदेश कंमांक 754-768 दिनांक 05/07/2023 की निरन्तरता में आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए कार्यभार अवधि बढ़ाई जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
दिनांक: 4-8-2023

कंमांक : प.8(ड)(का.भा.)डीएलबी/23/952-965

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज.जयपुर ।

02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ।

03. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ।

04. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ।

05. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर ।

06. संभागीय आयुक्त जोधपुर / जिला कलेक्टर सिरोही ।

07. निदेशक / अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज. राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 () के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।

08. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर ।

09. अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जावाल ।

10. श्री कनाराम भील अध्यक्ष नगर पालिका जावाल ।

11. प्रोग्रामर (आई टी सैल) निदेशालय को अपलोड करने हेतु ।

12. सुरक्षित पत्रावली ।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी